

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 21.07.2025

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0-200/2025 धारा 87, 137(2), 64(2)M बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)(5), 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता प्रमोद पुत्र रामवचन साकिन भिटखिनी खुर्द केवटहिया थाना महुली जनपद संतकबीर नगर को आज दिनांक 21.07.2025 को अगया उर्फ सिदाही मोड के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 10.06.2025 को थाना महुली पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को अज्ञात द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 21.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जगरन्नाथ सिंह यादव, का0 राजमंगल यादव ।

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना महुली पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 142/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस व 16/17 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता सुनील कुमार पुत्र राम निवास ग्राम टाड़ा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दिनाँक 20.07.2025 को वहदग्राम टाड़ा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 14.05.2025 को थाना महुली पर वादी की नाबालिग पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी कर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री श्याम देव प्रसाद, का0 विकास साहनी, का0 सुदीप कुमार, का0 रितेश यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 65 वाहनों से 86,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 21.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 65 वाहनों से 86,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 609/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अर्जुन गौतम पुत्र पारसनाथ निवासी जलालपुर थाना नगर जनपद बस्ती को दिनांक 21.07.2025 को रेलवे स्टेशन खलीलाबाद से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 10.07.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृता को बरामद करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, हे0का0 अनिल कुमार सिंह, का0 राकेश कुमार गौड़, का0 रंजन राजभर, म0का0 प्रेमा बिन्द।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0सं0 649/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अंकेश पुत्र परमेश निवासी नगवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 21.07.2025 को रेलवे स्टेशन खलीलाबाद से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 16.07.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृता को बरामद करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे, हे0का0 अनिल कुमार सिंह, का0 राकेश कुमार गौड़, का0 रंजन राजभर, म0का0 प्रेमा बिन्द।

“ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 60(1) अबकारी अधिनियम के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 21.07.2025 को *माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)एफ0टी0सी0/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर* के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ।

विवरण:-

मु0अ0सं0 12/2021 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त शिवशंकर पुत्र छेदीलाल निवासी रुईहट्टा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा 60(1) अबकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।